बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

09 चैत्र, 1939 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------

30 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 26

1.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01
2.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	03
3.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	....	....	02
4.	समाज कल्याण विभाग	....	....	04
5.	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	....	....	01
6.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	08
7.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	02
8.	जल संसाधन विभाग	....	....	04
9.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**26**

नावों का निबंधन

अ* 206. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में नाव से दुर्घटना न हो, इसके लिए वर्ष 2011 में नाव नियमावली बनाई गई थी लेकिन नियमावली को कड़ाई से लागू नहीं करने की वजह से राज्य में लगातार नाव दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नियमावली बनने के कुछ महीने बाद पूरे राज्य में मात्र दो हजार नावों का निबंधन हुआ तथा इसके बाद से आज तक कोई निबंधन नहीं हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में 600 खतरनाक नदी-घाट हैं जिनमें सिर्फ पटना में ही 31 खतरनाक नदी-घाट हैं, परन्तु इन नदियों-घाटों पर भी बेरोकटोक नावें चलायी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में नाव दुर्घटना न हो, इसके लिए सभी खतरनाक घाटों को परिचालन युक्त बनाकर सभी नावों का निबंधन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

स्टेट बोरिंग चालू कबतक

ब* 239. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मजुराहों पंचायत से होते हुए बड़ा बरियारपुर पंचायत के टाली टोला होते हुए मोतिहारी प्रखंड की बसवरीया पंचायत के किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु स्टेट बोरिंग का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विभाग के बड़ा बरियारपुर पंचायत के एन.एच.-28 ए से बड़ा बरियारपुर चौक से होते हुए टाली टोला, बसवरीया जाने वाली स्टेट बोरिंग की नहर को मिट्टी भरकर तथा उक्त जमीन का जाली कागजात बनाकर बिक्री करने तथा उसपर भवन का निर्माण कराया गया है जिससे किसानों की खेती समय पर पटवन (सिंचाई) के कारण नहीं हो पाती है;

अ* दिनांक 16 एवं 29 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित स्टेट बोरिंग को चालू कराने तथा उक्त स्थान नहर पर बने भवन का निर्माण जो अवैध है तथा नहर को मिट्टी से भर दिया गया फिर से चालू करने तथा विभागीय पदाधिकारी की मिलीभगत से सिंचाई नहीं हो पाने के कारण पदाधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई कर फिर से स्टेट बोरिंग टाली टोला बड़ा बरियारपुर एन.एच.-28 ए से चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवन एवं वर्कशेड का निर्माण

ब* 244. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी महादलित टोलों में सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड निर्माण का आदेश है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रति सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड का निर्माण 20.00 लाख रुपये की लागत से महादलित विकास निगम के माध्यम से होना था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अबतक किन-किन महादलित टोलों में सामुदायिक भवन/वर्कशेड का निर्माण करा लिया गया है, इसकी जानकारी सरकार देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

छात्रवृत्ति की बंदरबांट

***** 501. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विगत 2013-14 से बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के 31 शिक्षण संस्थाओं में कुल 770 छात्रों के छात्रवृत्ति की राशि कल्याण विभाग के अधिकारियों, तकनीकी संस्थानों व एन.जी.ओ. की मिलीभगत से करीब 10 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति की बंदरबांट कर ली गई है;

ब* दोनों प्रश्न दिनांक 18 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

(ख) क्या यह सही है कि एन.जी.ओ. एवं तकनीकी संस्थाओं के झूठे शपथ डालकर ग्रामीण छात्रों का तकनीकी संस्थाओं में नामांकन व छात्रवृत्ति ठेका लेते थे, तकनीकी संस्थाओं में केवल नामांकन लिया जाता था तथा बाद में छात्र संस्थान छोड़ देते थे फिर भी कल्याण विभाग के दलालों के सहयोग से जिस छात्र का पता नहीं होता था, उसके नाम छात्रवृत्ति का उठाव कर लिया जाता था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जिन पदाधिकारी/कर्मचारी/संस्था अथवा अन्य के द्वारा गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि लूट ली गयी, सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

छात्रवृत्ति का भुगतान

***** 502. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मदद देने के लिए छात्रों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान का अधिकारियों के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, पटना जिला के मनेर इलाके में माधोपुर गांव के (रत्नेश कुमार) एक छात्र द्वारा सभी अर्हता रखते हुए आवेदन पर दो वर्षों तक दौड़ने के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त प्रावधान के तहत समय सीमा के अंदर छात्रवृत्ति की राशि देना चाहती है तथा विलंब होने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शस्त्र का हस्तांतरण

***** 503. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु/70 वर्ष का होने/25 वर्ष या उससे अधिक शस्त्र धारण करने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों को शस्त्र हस्तांतरण के लिए आदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित कोटि के अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तराधिकारियों के आवेदन पत्र के निष्पादन में जिला स्तर पर कठिनाई एवं काफी विलंब किया जा रहा है;

9

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि पटना, नवादा एवं नालंदा जिलों में इस तरह के कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं और कितने आवेदनों का निष्पादन किया गया है और शेष का कबतक किया जायेगा ?

जाम की स्थिति

***** 504. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी शहर के गांधी चौक से बेलती देवी मंदिर तक झील पथ, बैंक रोड व प्रधान पथ पर घंटो-घंटा जाम रहने के कारण वाहनों का चलना तो दूर की बात है, पैदल यात्रियों समेत स्कूली बच्चों को समय पर घर पहुंचना मुश्किल है;

(ख) क्या यह सही है कि अवैध पार्किंग तथा चौक-चौराहे पर टेम्पो-ऑटो, ठेला को खड़ा करने के साथ ही शहरवासियों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोतिहारी शहर में जाम की स्थिति को समाप्त करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई हेतु व्यवस्था

***** 505. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला और बक्सर जिला में सरकारी नलकूप हैं। भोजपुर जिला और बक्सर जिला में अभी तक कितने सरकारी नलकूप चालू स्थिति में हैं और कितने नलकूप कबसे बंद हैं, बंद नलकूप को चालू कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि भोजपुर और बक्सर जिला में कितने सरकारी नलकूप ऑपरेटर हैं, क्या उन सभी ऑपरेटर को प्रत्येक माह वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि भोजपुर और बक्सर जिला के बड़हरा प्रखंड, आरा प्रखंड, बिहिया प्रखंड, शाहपुर प्रखंड, ब्रह्मपुर प्रखंड, चक्की सिमरी प्रखंड के दियारा इलाका और उत्तरी दिशा में सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहां के किसान भगवान भरोसे कृषि करते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन इलाकों में सरकारी नलकूप सहित विशेष सिंचाई के लिए व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

सर्विस राशि का भुगतान

***** 506. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला में सासामुसा चीनी मिल सासामुसा बाजार में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चीनी मिल में विगत कई वर्षों में सैकडों कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सर्विस राशि का भुगतान मिल द्वारा नहीं किया गया है एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सासामुसा चीनी मिल से सेवानिवृत्त कर्मियों के सर्विस राशि के भुगतान हेतु कौन-सा कदम उठा रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा मामले की जांच की गई जांच में पाया गया कि गोपालगंज जिले में अवस्थित सासामुसा चीनी मिल में वर्ष 2016 में कुल 08 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सर्विस राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा इस संबंध में मामले को संज्ञान में नहीं लाया गया है।
जांचोपरांत संज्ञान में आये मामलों में यथोचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

(घ) उत्तर कंडिका-3 में निहित है।

श्मशान घाट की घेराबंदी

***** 507. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में कब्रिस्तानों की कुल संख्या-4853 में से 2064 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने के पश्चात् शेष बचे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की व्यवस्था की है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के अन्य धर्मावलंबियों के लोगों का दाह संस्कार काफी असुरक्षित जगहों पर बने श्मशान घाट पर होता है जिससे कभी-कभी कोई ना कोई अप्रिय घटना होते रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो खंड 'क' पर अंकित कब्रिस्तानों की भांति बिहार के अन्य धर्मावलंबियों के लोगों के दाह-संस्कार के लिए बने श्मशान घाट की भी घेराबंदी करने की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो इसके लिए क्या योजना है ?

पुल का निर्माण

***** 508. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला रोहतास के प्रखंड कोचस की बलखरी पंचायत के चौड़ी ग्राम में गर्ल्स हाई स्कूल के पास चाट में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त ग्राम के लोगों एवं विद्यार्थियों को काफी असुविधा होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थानांतरण कबतक

***** 509. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार जिले में न्यायिक परिसर में स्थापित किशोर न्याय परिषद् को न्यायालय परिषद् से अलग कार्यपालिका के भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत न्यायालय परिसर में अवस्थित किशोर न्याय परिषद् को न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के भवन से अलग हटाकर लखीसराय, शेखपुरा, सिकन्दरा मुख्य मार्ग पर निजी भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, इससे जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य आक्रोशित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि किशोरवय के अभियुक्तों को जेल से न्यायालय के हाजत में रखकर हथकड़ी लगाकर सड़क पर अवस्थित किशोर न्याय परिषद् के न्यायालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी जबकि किशोरवय के अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में उपस्थित नहीं करने का निदेश दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि कार्यपालिका में अनुमंडल पदाधिकारी का पुराना भवन जिला परिषद् एवं कोषागार का पुराना कार्यालय नये भवन में स्थानांतरित होने से पुराना भवन खाली है, किसी एक में किशोर न्याय परिषद् के न्यायालय को रखने का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किशोर न्याय परिषद् के न्यायालय को कार्यपालिका के अन्तर्गत किसी भी खाली भवन में स्थानांतरित करने का आदेश देना चाहती है?

नियुक्ति पत्र निर्गत कबतक

***** 510. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी पंचायत के केन्द्र संख्या-40, वार्ड-11 में आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु दिनांक 09.12.2016 से 23.12.2016 तक आवेदन लिए गए;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 04.01.2017 को आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु प्रथम आम सभा हुई, इस सभा में मेधा सूची तैयार की गई जिसमें सर्वाधिक अंक के साथ सुश्री प्रज्ञा कुमारी चौधरी का चयन किया गया, परन्तु मूल प्रमाण पत्र एवं प्रवेश में जन्म तिथि का अंतर रहने से आम राय नहीं बन सकी;

(ग) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन में पर्यवेक्षिका द्वारा मार्ग निर्देशिका, 2016 के अनुरूप सर्वाधिक अंक वाली आवेदिका को नियुक्ति पत्र देने का डी.पी.ओ. ने निर्देश दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ग' के आलोक में उक्त प्रखंड की पटोरी पंचायत के केन्द्र संख्या-40, वार्ड-11 में सुश्री प्रज्ञा कुमारी चौधरी को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन संबंधी नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र निर्गत करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

जल निकासी की व्यवस्था

***** 511. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सकरबासा स्थित फुदिया बाहा नाला से होकर खोदावंदपुर प्रखंड एवं चेरिया बरियारपुर प्रखंड के दर्जनों गांवों का पानी बहते हुए कावर झील में जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला को दबंग व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया गया है जिसके कारण ग्राम फ्फौत, मालपुर, बरियारपुर पूर्वी, तारा, चकबा, खोदावंदपुर, मुसहरी, मैघौल, बिदुलिया, मलमल्ला (खोदावंदपुर), आकोपुर, गोपालपुर, रामपुर, सकरौली, बसही आदि गांवों के हजारों एकड़ खेत का पानी लगड़ी चौड़ में ही जमा रह जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लगड़ी चौड़ में जल जमाव रहने के कारण लगभग हजारों एकड़ से अधिक में लगी धान एवं गन्ने की फसल सड़-गल गई तथा रबी फसल की बुआई नहीं हुई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित फुदिया बाहा नाला को दबंगों से मुक्त करवाकर जल निकासी का कार्य कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

***** 512. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) राज्य में बगैर घेराबंदी एवं अधूरी घेराबंदी किए हुए कितने कब्रिस्तान हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बगैर घेराबंदी वाले कब्रिस्तानों एवं अधूरी घेराबंदी वाले कब्रिस्तानों को पूर्ण करने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है एवं सरकार इन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है ?

अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजादी

***** 513. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री बाबू लाल प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रेमचन्द उच्च विद्यालय, सरारी, सीवान का अपहरण दिनांक 06.01.2017 को कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री प्रसाद के लापता होने की सूचना जी.बी. नगर तरवारा थाना में प्राथमिकी संख्या 17/17, दिनांक 18.01.2017 द्वारा दर्ज करायी गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक प्रभारी प्रधानाध्यापक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है जिसके कारण उनके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री प्रसाद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कबतक मुक्त कराना चाहती है ?

आदेश का उल्लंघन

***** 514. **डा. उपेन्द्र प्रसाद**: क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-2052, दिनांक 23.12.2014 एवं अनुमंडल कार्यालय, दानापुर के ज्ञापांक-1331, दिनांक 13.9.2014 द्वारा दिये गये आदेश की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहना, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता एवं कार्यालय कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

तटबंध की मरम्मती

***** 515. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत धनकौल बांध से कटैया बांध तक के तटबंध की स्थिति काफी जर्जर एवं दयनीय है जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तटबंध की मरम्मती कराकर आवागमन को सुचारु रूप से करने का विचार रखती है तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

दोषियों पर कार्रवाई

***** 516. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 के जनवरी माह में संक्रांति के दिन पटना में गंगा की लहर मानकों का पालन नहीं करने से नाव हादसा हुआ था और इसके बाद दानापुर सहित पटना क्षेत्र के डी.एस.पी. व थानाध्यक्षों को गंगा एवं नदियों में नाव परिचालन से संबंधित मानकों को पालन कराने का निर्देश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकांश नावें बिना निबंधन कराये चल रही हैं तथा नावों पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों और सामानों को चढ़ाया जाता है, जिससे लोग नाव हादसा के शिकार हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि नाव हादसा एवं निर्देशों के बाद अबतक कौन-सी कार्रवाई हुई है और नाव परिचालन करने वाले नाविकों पर कौन-सी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकी है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम न्यायालय की स्थापना

***** 517. **डा. जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बांका जिला की स्थापना 10 फरवरी, 1991 को हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला की स्थापना से अबतक बांका में जिला श्रम न्यायालय की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, उक्त न्यायालय से संबंधित कार्यों का आज भी भागलपुर जिला श्रम न्यायालय से निष्पादन होता है, जो बांका जिला मुख्यालय से 60 कि.मी. दूर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बांका जिला श्रम न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

टावर नहीं लगाने का निर्देश

***** 518. **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना शहर स्थित परिवहन नगर, बाइपास रोड के दक्षिण जकरियापुर, किड्स गार्डेन स्कूल के निकट रोड नं.-1, हाउस सं.-486/4 के सटे दक्षिण की निवासी सविता देवी, पति-स्व. उमेश प्रसाद, उनके पुत्र मुन्ना कुमार ने अपने मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) क्या यह सही है कि घनी आबादी वाले इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर उससे निकले रेडिएशन के प्रभाव से छोटे-छोटे बच्चों के हृदय एवं कान कमजोर हो जाते हैं तथा उसके पास से गुजरने वाली गौरैया पंछी की हृदय धड़कन फेल हो जाती है और मधुमक्खी की प्रजाति लुप्त होती जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन के कुप्रभाव के डर से स्थानीय लोगों ने सविता देवी, पति-स्व. उमेश प्रसाद और मुन्ना कुमार को मोबाइल टावर न लगाने की सलाह दी तो उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी सूचना दिनांक 01.03.2017 को रामकृष्णानगर थाना, पटना को दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में खंड 'क' पर अंकित स्थान पर मोबाइल टावर न लगाने का निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विराम भत्ता देने पर विचार

***** 519. **श्री अर्जुन सहनी** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय ज्ञापांक-51/लेखा, दिनांक 27.01.2016 के अनुसार विधान मंडल के माननीय सदस्यों एवं अन्य गणमाण्य महानुभावों के साथ संबद्ध अंगरक्षक के पदस्थापन स्थल पर ठहराव के दौरान विराम भत्ता देय नहीं होगा;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी तथा डी.एम., एस.पी., एस.डी.एम., एस.डी.पी.ओ. के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को विराम भत्ता पिछले 25 वर्षों से मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड 'क' में वर्णित महानुभावों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को विराम भत्ता नहीं देने का क्या औचित्य है ?

मुआवजा का भुगतान

* 520. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मो. शमशाद एवं मो. इरशाद, पिता-मो. नसीम, ग्राम-कनहावा, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी के द्वारा रून्नीसैदपुर कांड सं. 319/14 में गलत ढंग से फंसा कर गिरफ्तारी एवं जेल भेजने के संबंध में बिहार मानवाधिकार आयोग ने परिवाद सं.-बी.एच.आर.सी/सी.ओ.एम.पी 1444/2015 दायर किया था;

(ख) क्या यह सही है कि मानवाधिकार आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपने आदेश द्वारा दिनांक 9.6.2016 को राज्य सरकार को निदेश दिया था कि प्रति आवेदकों को 50000.00 (पचास हजार) रुपये मुआवजे का भुगतान दो महीने के अंदर किया जाय;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदकों को मुआवजा की राशि का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विभागीय कार्रवाई

* 521. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, प्रभारी सहायक अभियंता, चान्दन परियोजना प्रमंडल कांडा, बांका (भागलपुर) में पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्री चौधरी के खिलाफ ग्रामीण विकास विभाग, बांका ने सरकारी विकास कार्यों में लूट मचाने की शिकायत विभागीय मंत्री से की है, लेकिन विभाग के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से उसे दबा दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि चान्दन परियोजना प्रमंडल कांडा में प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में सरकारी नियम के विरुद्ध प्रतिनियुक्त हुए हैं, कहलगांव के अंतीचक में बिना सड़क निर्माण के मापी कर 3.5 लाख रुपये निकाल लेने का आरोप विभाग के द्वारा है एवं गड़बड़ी करने की प्राथमिकी गनगनीया पंचायत के सुल्तानगंज थाना में मामला दर्ज है;

(घ) क्या यह सही है कि चौधरी पर वर्ष 2013 में भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी फिर भी दागदार व्यक्ति को उक्त परियोजना के लिए सहायक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'क' से लेकर 'घ' तक में वर्णित शिकायतों पर कार्रवाई तथा मिलीभगत करने वाले विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

लंबित वादों का निष्पादन

***** 522. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में सेविका/सहायिका की नियुक्ति से संबंधित बीस वाद एक वर्ष से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि नियुक्ति से संबंधित लंबित वादों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा वाद दायर करने की तिथि से एक माह के अंदर निष्पादन करने का नियम निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इन वादों को लंबित रखने के पीछे कोई खास उद्देश्य निहित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन कराते हुए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कार्यों की जांच

***** 523. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम-बड़ी कलपा में सिंचाई जलाशय योजना हेतु बड़ी पोखर, छोटी पोखर तथा बगुला आहर से संबंधित पईन उड़ाहीकरण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बगुला आहर पईन, लहरीबर पईन तथा कलपा टिकुली खंधा पईन आदि मुखिया एवं मनरेगा के अन्तर्गत पूर्व में कार्य किया गया है तथा बड़ी पोखर उड़ाही का 60 से 70 प्रतिशत आम जनता के द्वारा घर भराई हेतु मिट्टी निकासी की गई, लेकिन प्राक्कलन में कोई भी कटौती नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा निविदा में कागजात जो मांगा गया था वह संवेदक के द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर निविदा अपने नाम पर करवाकर विभाग में राशि देकर अपने पक्ष में कर लिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित सभी कार्यों की जांच कराकर संवेदक के द्वारा फर्जी भुगतान एवं फर्जी कागजात की जांचकर एवं संवेदक को काली सूची में डालने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 30 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्